



भारत-कतर GI उत्पाद बैठक

प्रलिस के लयः

भौगोलकः संकेतक, भारत कतर वऱपार, APEDA

मेन्स के लयः

भारत कतर संबध, भौगोलकः संकेतक, APEDA

चरचा में कऱों?

हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय दूतावास, दोहा और भारतीय वऱपार एवं पेशेवर परषिद (Indian Business and Professionals Council-IBPC) कतर के सहयऱ से कृषऱ तथा खऱदय **भौगोलकः संकेतक (GI)** उत्पादों के लयः **वर्चुअल नेटवर्कऱगऱ मीट** का आयऱजन कयऱ।

- इस बैठक ने भारतीय मूल के कृषऱ और खऱदय उत्पादों एवं वऱशऱषऱट वऱशऱषऱताओं वऱले उत्पादों के नरऱयात में भारत की कषमता को लेकर कतर और भारत के नरऱयातकों तथा आयऱतकों के बीच बातचीत हेतु मंच प्रदान कयऱ।

भौगोलकः संकेतक (GI) टैगः

परचऱयः

- GI एक संकेतक है, जसऱका उपयोग एक नऱश्चित भौगोलकः कषेत्र में उत्पन्न होने वऱली वऱशऱषऱट वऱशऱषऱताओं वऱले सामानों को पहचान प्रदान करने के लयः कयऱा जऱता है।
- 'वस्तुओं का भौगोलकः सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधनऱयऱम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबधऱतऱ भौगोलकः संकेतकों के पंजीकरण एवं उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह **वऱशऱव वऱपार संगठन** के बौधकऱ संपदा अधकऱरों (TRIPS) के वऱपार-संबधऱतऱ पहलुओं का भी हऱसऱसा है।
 - पेरसऱ कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत यह नरऱणय लयऱा गयऱ तथा यह भी कहा गयऱ कऱ औदयऱगऱकऱ संपत्तऱ एवं **भौगोलकः संकेतक** का संरक्षण बौधकऱ संपदा के तत्त्व हैं।
- यह मुख्य रूप से कृषऱ, प्राकृतकऱ या नरऱमितऱ उत्पाद (हस्तशऱलऱप और औदयऱगऱकऱ सामान) है।

वैधताः

- भौगोलकः संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधऱके लयः वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतरऱकऱतऱ अवधऱके लयः नवीनीकृत कयऱा जा सकतऱ है।

भौगोलकः संकेतक का महत्त्वः

- एक बार भौगोलकः संकेतक का दर्जा प्रदान कर दयऱ जाने के बाद कोई अन्य नरऱमाता समान उत्पादों के वऱपऱण के लयः इसके नाम का **दुरुपयऱग नहीँ** कर सकतऱ है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रऱमाणकऱता के बारे में भी जानकऱरी की सुवधऱा प्रदान करता है।
- कऱसी उत्पाद का भौगोलकः संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलकः संकेतक के अनधकृतऱ उपयोग को रोकतऱ है।
- यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलकः संकेतकों के नरऱयात को बढ़ऱवा देतऱ है और वऱशऱव वऱपार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनातऱ है।
- GI टैग उत्पाद के नरऱयात को बढ़ऱवा देने में मदद करता है।

GI रजऱऱऱट्रेशनः

- GI उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रकऱरऱया है जसऱमें आवेदन दाखल करना, प्रऱरंभकऱ जाँच और परीक्षा, कारण बताओ नऱटऱसऱ, भौगोलकः संकेतक पत्रकऱा में प्रकाशन, पंजीकरण का वऱशऱध और पंजीकरण शऱमलऱ है।
- कानून दवऱरा या उसके तहत स्थापतऱ वयकृतयऱों, उत्पादकों, संगठन या प्राधकऱरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकतऱ है।
- आवेदक को उत्पादकों के हऱतऱों का प्रतनऱधऱतऱव करना चाहयऱ।

GI टैग उत्पादः

- कुछ प्रसदऱध वस्तुएँ जनऱको यह टैग प्रदान कयऱा गयऱ है उनमें **बासमती चावल**, **दऱरजलऱगऱ चाय**, **चंदेरी फ़ैब्रकऱ**, **मैसूर सलऱक**, **कुललू शॉल**, **कांगड़ा चाय**, **तंजावुर पेंटगऱ**, **इलाहाबाद सुरखा**, **फररुखाबाद प्रऱटऱ**, **लखनऊ जरदोजी**, **कश्मीर केसर** और **कश्मीर अखरोट** की

लकड़ी की नक्काशी शामिल हैं।

■ कृषि GI उत्पाद:

- वर्तमान में भारत में 400 से अधिक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक हैं, जिनमें से लगभग 150 कृषि और खाद्य उत्पाद GI प्राप्त हैं।
- 100 से अधिक पंजीकृत GI उत्पाद [कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य नरियात विकास प्राधिकरण \(Agriculture and Processed Food Export Development Authority-APEDA\)](#) अनुसूचति उत्पादों (ताजे फल और सब्जियाँ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पशु उत्पाद और अनाज) की श्रेणी में आते हैं।

भारत-कतर संबंध:

■ उपराष्ट्रपति की कतर यात्रा 2022 की मुख्य वशिषताएँ:

■ भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज:

- उपराष्ट्रपति ने "भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज" का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है।
 - 70,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लयितिसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है।
 - भारत में 100 यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

■ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:

- भारत पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये नरितर पर्यास कर रहा है।
- उन्होंने [अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन \(ISA\)](#) की स्थापना और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका का भी उल्लेख किया।
- उन्होंने कतर को अपनी ऊर्जा सुरक्षा में भारत के विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थिरता के लिये इस यात्रा में भागीदार बनने और ISA में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।

■ व्यापार मंडलों के बीच संयुक्त व्यापार परिषद:

- उन्होंने परसनता व्यक्त की कि भारत और कतर के व्यापार मंडलों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की गई है जो नविश पर एक संयुक्त कार्यबल के माध्यम से नविश को बढ़ावा देगा।
- उन्होंने नए और उभरते अवसरों का दोहन करने के लिये दोनों पक्षों के व्यवसायों को मार्गदर्शन व सहायता हेतु साझेदारी करने के लिये इन्वेस्ट इंडिया एवं कतर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की भी सराहना की।

■ बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:

- उन्होंने [अंतर-संसदीय संघ \(IPU\)](#), एशियाई संसदीय सभा और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत एवं कतर के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।

■ व्यापार:

○ कतर को भारत से नरियात:

- वर्ष 2020 में भारत ने कतर को 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का नरियात किया।

○ भारत द्वारा कतर को नरियात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद चावल, आभूषण और सोना हैं।

○ पछिले 25 वर्षों के दौरान कतर को कथिया गया भारत का नरियात 16.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 1995 के 29.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

○ कतर से भारत को आयात:

- वर्ष 2020 में कतर ने भारत को 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का नरियात किया। कतर द्वारा भारत को नरियात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद पेट्रोलियम गैस, क्रूड पेट्रोलियम और हलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन हैं।

● पछिले 25 वर्षों के दौरान भारत को कतर द्वारा कथिया गया नरियात 19% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो वर्ष 1995 के 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

● भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयात में कतर की हसिसेदारी 41% है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य नरियात विकास प्राधिकरण (APEDA):

■ परिचय:

- APEDA की स्थापना भारत सरकार द्वारा दसिंबर 1985 में संसद द्वारा पारितकृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नरियात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
- प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य नरियात संवर्धन परिषद (Processed Food Export Promotion Council-PFEP) को प्रतस्थापित किया।
- APEDA, जो वाणज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नेवतितीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कृषि नरियात में लगभग 50% (24.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की हसिसेदारी के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के नरियात को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

■ कार्य:

- वतितीय सहायता प्रदान करके नरियात के लिये अनुसूचति उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास।
- नरिधारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचति उत्पादों के नरियातक के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण।
- नरियात के प्रयोजन हेतु अनुसूचति उत्पादों के लिये मानकों और वशिषिताओं का नरिधारण।

- अनुसूचति उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार ।
- भारत के बाहर अनुसूचति उत्पादों के वपिणन में सुधार ।
- नरियातोनमुख उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचति उत्पादों का विकास करना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि 'भौगोलिक संकेतक ' का दरजा प्रदान कथि गया है? (2015)

1. बनारस के जरी वस्त्र एवं साड़ी
2. राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा
3. तरिपतलिडडू

नीचे दथि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनथि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेतक क (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लथि कथि जाता है, जनिका एक वशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है ।
 - दारजलिगि चाय GI टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था ।
- बनारस जरी वस्त्र और साड़ी एवं तरिपतलिडडू को GI टैग मलिा है, जबक रिराजस्थान की दाल-बाटी-चूरमा को नहीं । अतः कथन 1 और 3 सही हैं । अतः वकिलप (C) सही है ।

प्रश्न. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक क(पंजीकरण और संरक्षण) अधनियिम, 1999 को कसिके दायतिवों का पालन करने के लथि अधनियिमति कथि? (2018)

- (a) अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) वशि्व व्यापार संगठन

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेतक (GI) एक प्रकार की बौद्धिक संपदा (IP) है । वशि्व व्यापार संगठन (WTO), बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता देता है ।
- TRIPS समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत GI टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या नरिमति उत्पादों की गुणवत्ता और वशिष्टता का आश्वासन देता है, जो एक वशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है और जसिके कारण इसमें अद्वितीय वशिष्टताओं एवं गुणों का समावेश होता है ।
- अतः वकिलप (D) सही है ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)